

17-1-2022 पत्रावली पेश हुई। कोरोना प्रदायी होने
कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतीवाही दिनांक
14-3-2022 को पेश हो।

14.3.2022 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार एवं वकील
पक्षकारान् अनुपस्थित। रूक-रूक कर
तीन बार भावाज दिनायी गयी। न तो
वकील उपस्थित है एवं न ही पक्षकारान्
उपस्थित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय
इस प्रकरण को आगे जेरकार रखना
उचित नहीं समझता है। प्रकरण काफी
पुराना है अतः पत्रावली बदम हजरी-
बदम घंरनी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फंसल नुमार होकर नंबर से
रुम की जावे। प्रिय भाज दिनांक
14.3.2022 को सैर-इजलाश सुनथा
गया।

[Handwritten signature]